महत्वपूर्ण एवं खास

वैवाहिक कार्यक्रम में रात्रि 10 बजे तक मध्यम आवाज में बैंड पार्टी के संचालन की मिली अनुमति

रायगढ़। कोरोना वायरस एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईड लाईन जारी किया गया है। भारत सरकार एवं छ.ग.शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए समस्त बैंड पार्टी संचालक रायगढ़ को कोविड-19 हेतु निर्धारित नियमों एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम में रात्रि 10 बजे तक मध्यम आवाज में बैंड पार्टी के संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

जंगल पहाड़ी ऊपर अवैध शराब भट्ठी पर डोंगरीपाली पुलिस की रेड कार्रवाई

अवैध भट्ठी को तोड़ 50 बोरी महुआ पास का किया गया नष्ट

रायगढ़। आज दिनांक 01/02/2022 को थाना प्रभारी डोंगरीपाली निरीक्षक जितेन्द्र एसैया के नेतृत्व में डोंगरीपाली स्टाफ द्वारा ग्राम कालाखुंटा ढोसरबहल जंगल पहाड़ी के ऊपर अवैध महुआ शराब बनाये जाने की सूचना पर इलाके की घेराबंदी कर रेड कार्रवाई किया गया। सुनसान जंगल में पुलिस की घेराबंदी की भनक आरोपियों को लगने पर पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले आरोपीगण भाग निकले थे। पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर अवैध महुआ शराब बनाने के लिये रखे गये करीब 50 बोरी महुआ पास एवं शराब बनाने के लिए रखे हुए पात्र का नष्टीकरण कर अवैध भट्ठी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। थाना प्रभारी द्वारा पास के गांव में मुनादी कराकर अवैध शराब बनाने वालों के पकड़े जाने पर आबकारी एक्ट के अजानतीय धाराओं के तहत कार्रवाई किये जाने की चेतावनी दी गई है।

ग्राम भुईकुर्री में 20 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, पूंजीपथरा पुलिस की कार्रवाई

रायगढ़। दिनांक 31.01.2022 को पूंजीपथरा पुलिस द्वारा ग्राम भुईकुर्री के अंजोर सिंह रौतिया के घर पर अवैध शराब बिक्री की सूचना पर रेड कार्रवाई किया गया। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि अंजोर साय घर पर अवैध रूप से महुआ शराब की बिक्री करता है। थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह के निर्देशन पर सहायक उप निरीक्षक सिमसोन मिंज के हमराह स्टाफ द्वारा गवाहों को साथ लेकर संदेही के घर जाकर तलब किया गया। अंजोर सिंह रौतिया से शराब अवैध रूप से बेचने के संबंध में पूछताछ करने पर शराब बेचना स्वीकार कर घर के रसोई कक्ष से चार नग सफेद रंग के प्लास्टिक जरिकेन में भरा हुआ महुआ शराब पेश किया गया, जिसमें कुल 20 लीटर महुआ शराब कीमती 2000 रूपये का पाया गया। आरोपी अंजोर सिंह पिता स्व. प्यारी सिंह रौतिया उम्र 50 वर्ष साकिन भुईकुर्री थाना पूंजीपथरा पर धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित काउंसलिंग स्थगित

रायगढ़। राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति हेतु 2 एवं 3 फरवरी 2022 को आयोजित काउंसलिंग आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। विदित हो कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ से 31 जनवरी 2022 को जारी निर्देशानुसार प्राथमिक प्रधान पाठक की पदोन्नति हेतु 2 व 3 फरवरी को काउंसलिंग संबंधी निर्देश जारी हुए थे, जो अब राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं। आगामी प्रक्रिया राज्य के निर्देशानुसार की जाएगी।

रोजगार मिशन के तहत विभाग जिले के अनुरूप तैयार करें कार्ययोजना : कलेक्टर भीम सिंह

● कलेक्टर सिंह ने ली समय सीमा बैठक

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर सिंह ने रोजगार मिशन के तहत सेवा एवं उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसे अन्य विभागीय योजनाओं को शामिल करने के निर्देश दिए। जिससे जिले में रोजगार की दिशा में और बेहतर कार्य किया जा सके। उन्होंने जिले में मांग एवं उपलब्ध रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाए।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि गौठानों में मल्टी एक्टीविटी के तहत संचालित गतिविधियों में किए जा रहे मछली पालन, कुटकुट पालन तथा बागवानी की तरह रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के तहत गौठानों में प्रोसेसिंग यूनिट और उत्पादन के कार्यो को फोकस किया जाएगा। जिससे वृहद स्तर में रोजगार में वृद्धि होगी। रीपा के तहत 155 गौठानों का चयन किया गया है। इन एक्टीविटी को वन गौठानों में भी संचालित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने प्रसंस्करण के लिए महिला समूह को लोन उपलब्ध कराने एवं ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने कहा कि पूर्ण हो चुके गौठानों के मानकों की मॉनिटरिंग करें। जिससे वहां भी गोधन योजना प्रारंभ किया जा सके।

कलेक्टर सिंह ने जिले में 15-18 वर्ष आयु वर्ग के साथ बूस्टर डोज वैक्सीनेशन स्थिति की समीक्षा की। सीएमएचओ डॉ.केशरी ने बताया कि जिले में 15-18 वर्ष का वैक्सीनेशन 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है एवं बचे लोगों का वैक्सीनेशन जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही बूस्टर डोज का टीकाकरण भी तेजी से चल रहा है। कलेक्टर सिंह ने एंट्री का कार्य तथा हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर्स एवं बुजुर्गो का वैक्सीनेशन जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि ब्लड बैंक एवं हमर लैब के लिए उपकरणों तथा अन्य सामग्री की खरीदी जल्द पूर्ण कर ली जाए। इस दौरान डॉ.केशरी ने बताया कि हाट-बाजार क्लिनिक के लिए क्रय किये वाहन भी पहुंच चुके हैं, शीघ्र उनका संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। कलेक्टर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए गर्भवती महिलाओं के जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को सप्लीमेंट प्रदान करने के साथ उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए।

जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सिंह ने ईई पीएचई को निर्देशित किया कि स्कूल व आंगनबाड़ी में रनिंग वाटर सप्लाई का इस्टीमेट तैयार कर कार्य जल्द प्रारंभ करें। कलेक्टर सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत टेंडर भरने के पश्चात कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने खाद्य विभाग के कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि धान खरीदी अपने अंतिम चरण में हैं अत: धान खरीदी केन्द्रों के भौतिक सत्यापन किया जाना है इसके लिए उन्होंने जोनल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ लिए सभी एसडीएम सहित राजस्व अधिकारियों को खरीदी केन्द्रों का रेडण्म चेकअप करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने खनिज विभाग को निर्देश दिए कि जिला स्तर के अलावा सब डिविजन स्तर पर टास्क फोर्स बनाया जाए। अवैध रेत खनन एवं परिवहन करने वाले पर कार्रवाही की जाए। कलेक्टर सिंह ने गोधन न्याय योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को गोबर खरीदी एवं वर्मी खाद निर्माण का अवलोकन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी गौठानवार रिपोर्ट बनाए तथा जिन गौठानों में कन्वर्जन रेशियों कम है ऐसे गौठानों की महिला समूह को ट्रेनिंग दिया जाए। इस दौरान उन्होंने केसीसी निर्माण में तेजी लाने के निर्देश लीड बैंक मैनेजर को दिए। कलेक्टर सिंह ने लोक सेवा गारंटी की लंबित प्रकरण की अद्यतन जानकारी ली।

लॉ एण्ड आर्डर की भी हुई समीक्षा- कलेक्टर सिंह ने लॉ एण्ड आर्डर पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रोड एक्सीडेंट के मामले में एसडीएम व तहसीलदार तत्काल कार्रवाही करें एवं ऐसे प्रकरण में पुलिस विभाग की सहायता ली जाए, जिससे तनाव की स्थिति निर्मित न हो। कलेक्टर सिंह ने पुलिस विभाग को सड़क दुर्घटना के प्रकरण की अंतिम रिपोर्ट जल्द भेजने के निर्देश दिए, ताकि संबंधितों को मुआवजा जल्द प्रदान किया जा सके।

विचाराधीन बंदी खिरोद्र साहू की मृत्यु पर दण्डाधिकारी जांच के आदेश

● घटना के संबंध में 15 फरवरी तक एसडीएम कार्यालिय सारंगढ़ में दे सकते है जानकारी

रायगढ़। मृतक विचाराधीन बंदी खिरोद्र साहू उर्फ ओडिया आ.मालिक साहू, उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी नुनिया जामपाली (कुर्ला) थाना-बरगढ़, जिला-बरगढ़ (ओडिसा) जो कि माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सारंगढ़ जिला रायगढ़ द्वारा 10 नवम्बर 2021 को उप जेल सारंगढ़ में प्रविष्टि हुआ था। बंदी का 17 जनवरी 2022 को कोविड-19 जांच कराये जाने पर कोविड संक्रमित होना पाया गया, जिसे उपजेल सारंगढ़ के सेल नंबर 03 में पृथक कर क्वारेंटाईन किया गया था। 18 जनवरी 2022 को रात्रि लगभग 1 से 2 बजे बंदी द्वारा अपने कपड़े के गमछे से फंदा बनाकर फांसी लगा लेने से मृत्यु होने पर कलेक्टर रायगढ़ द्वारा निष्पक्ष जांच एवं मृत्यु का सही कारण जानने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी सारंगढ़ को दण्डाधिकारी जांच हेतु निर्देशित किया गया है।

अत: जिस किसी व्यक्ति के पास उक्त घटना से संबंधित कोई तथ्य या जानकारी हो तो कार्यालयीन समय में कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी सारंगढ़ में उपस्थित होकर 15 फरवरी 2022 तक उपलब्ध करा सकते हैं।

ट्रैफिक नियमों का पालन कराने कोतवाली पुलिस ने की मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई

● एक ही दिन में रिकार्ड 251 व्यक्तियों से 50 हजार रुपए वसूला गया जुर्माना रकम

● वाहन चलाते मिले नाबालिगों के अभिभावकों को दी गई समझाइश

रायगढ़। दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर नगर निरीक्षक मनीष नागर की टीम द्वारा शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने वाले वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी मनीष नागर के नेतृत्व में कल दिनांक 31.01.2022 को की गई कार्रवाई में रिकार्ड 251 लोगों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की कार्रवाई कर 50,200 रूपये का समन शुल्क काटा गया है जिसे शासन के खाते में जमा कराया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा नाबालिगों सड़क पर वाहन न चलाये इसे सुनिश्चित करने यातायात पुलिस एवं सभी थाना, चौकी प्रभारियों को समय-समय पर अभियान चलाकर नाबालिगों के अभिभावकों पर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। टीआई मनीष नागर बताये कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर शहर चौंक-चौराहों पर कोतवाली के स्टाफ द्वारा बिना मास्क के घूम रहे लोगों को समझाइश दी जा रही है साथ ही विशेष तौर पर नाबालिगों की सुरक्षा की खातिर शहरवासियों को ट्रैफिक नियम का पालन कराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। कार्रवाई दौरान पकड़े गये नाबालिगों के अभिभावकों को कोतवाली थाने बुलाकर कड़ी समझाइश दिया गया है कि नाबालिगों को वाहन चलाने को न दे। अभिभावकों कि चेतावनी दी गई है कि भविष्य में नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गये तो उन पर कार्रवाई कर न्यायालय पेश किया जावेगा।

बसंती ने प्रिंटिंग सर्विस कार्य से बनाई सफल उद्यमी की पहचान

● मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का मिला लाभ, दो अन्य लोगों को भी मिला रोजगार

रायगढ़। श्रीमती बसंती राठौर पढ़ाई के क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं कर पायी, लेकिन चाह थी कि एक सफल उद्यमी बने। हायर सेकेन्ड्री शिक्षा के पश्चात प्रिंटिंग सर्विस का कार्य करना चाहती थी जिसके लिए श्रीमती बसंती राठौर ने ऋण के लिए काफी प्रयास किया लेकिन जानकारी एवं पूँजी के अभाव में ऋण नहीं मिला। इसके बाद भी उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा।

इसी बीच जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभान्वित हितग्राही से उनकी मुलाकात हुई एवं योजना की जानकारी मिली। उन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जिसके बाद उन्हें योजना की विस्तृत जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया गया। श्रीमती बसंती राठौर व्दारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में ऋण हेतु आवेदन किया गया। उनके ऋण प्रकरण को जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में अनुशंसा उपरांत बैंक आफ इण्डिया, खरसिया को प्रेषित किया गया। बैंक शाखा व्दारा प्रिंटिंग सर्विस इकाई के लिये राशि 8 लाख 94 हजार 500 रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। बैंक से स्वीकृति उपरांत उद्यमी व्दारा 7 दिवसीय प्रशिक्षण में उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ व्दारा उन्हें योजनान्तर्गत डेढ़ लाख रुपये मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दिया गया तथा बैंक व्दारा 8 लाख 94 हजार 500 रुपये प्रिंटिंग सर्विस हेतु प्रदाय किया गया। श्रीमती बसंती राठौर ने ग्राम रतन महका में प्रिंटिंग सर्विस व्यवसाय प्रारंभ किया। श्रीमती बसती राठौर आज अपने साथ दो अन्य व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। इस व्यवसाय से श्रीमती बसंती राठौर ने अपने क्षेत्र में सफल उद्यमी की पहचान बनायी है। श्रीमती बसंती राठौर आज सभी प्रकार के खर्चो के बाद परिवार के लिए एक बड़ी रकम बचत कर पा रही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से अपने जीवन स्तर में आये बदलाव के लिए श्रीमती बसंती राठौर ने शासन-प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

प्रदेश की नामचीन रामदास-द्रौपदी फाउंडेशन के नाम पर प्रोविजन स्टोर के संचालक से दो ठगों ने की 21 लाख की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर कोतवाली थाना प्रभारी मनीष नागर द्वारा स्थानीय प्रोविजन स्टोर के संचालक से रामदास-द्रौपदी फाउंडेशन के नाम पर लाखों रूपये के राशन प्राप्त कर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को कोतवाली पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर प्राप्त राशन को बेचने में प्रयुक्त बोलेरो वाहन एवं शेष बचे राशन की जप्ती कर आरोपियों को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी के अपराध में रिमांड पर भेजा गया है।

धोखाधड़ी के संबंध में कालिन्दी कुंज रायगढ़ में रहने वाले दिवेश अग्रवाल पिता स्व . किशन अग्रवाल (उम्र 32 वर्ष) द्वारा लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि गांजा चौक में इनकी गोलू किराना स्टोर है। दिनांक 17.06.2021 को काली मंदिर के पीछे रहने वाले राजन ठाकुर व शुभम ठाकुर दोनों भाई दुकान आकर बोले कि रामदास द्रोपदी फाउन्डेसन नाम की संस्था जो जन सेवा के लिये विभिन्न सामाजिक समितियों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। संस्था के लोगों जनसेवा के लिये वितरित की जाने वाली राशन सामग्रियों क्रय करने का दायित्व उन्हें सौंपा गया है, जिस कारण वे दुकान से राशन साग्रियों क्रय करने आये हैं। उनकी बातों पर विश्वास कर दिनांक 17-06-2021 से दिनांक 24.12.2021 तक कुल 21,66,792 की राशन सामग्रियों उन्हें प्रदान किया। इस दौरान दोनों फाउंडेशन के लेटर पैड लाकर दिखाते कि सामग्रियों फाउंडेशन को प्राप्त हो गया है। उनसे रकम की मांग करने पर दोनों दिनांक 04.12.2021 मूल्य 4.98,000 / - रूपए एवं दिनांक 27.11.2021 मूल्य 7.00.000 / -रूपए का दुकान के नाम का चेक दिये। लेकिन दोनो ही चेक हस्ताक्षर मिस मैच हो जाने के कारण बाउन्स हो गये , जिस कारण राजन ठाकुर व शुभम ठाकुर से संपर्क किये। तब वे लोग दुकान आकर दोनों बाउन्स हुये चेक को वापस ले लिये और फिर से द्रोपदी फाउन्डेशन के नाम के सील लगे हुये और हस्ताक्षर किये मूल्य 14,98,000 / - रूपए तथा मूल्य 7,83,000 / - रूपए का चेक दिये। फिर से चेक बाउन्स होने पर दिवेश को शंका हुआ और अपने स्तर पर पता किया तो मालूम चला कि उक्त सभी चेक द्रोपदी फाउन्डेसन के नहीं है बल्कि एक शुभम ठाकुर के खाते का है , जिसमें राजन ठाकुर व शुभम ठाकुर ने फर्जी शील लगाकर व हस्ताक्षर कर दिये थे और यह भी पता चला कि द्रोपदी फाउन्डेशन के द्वारा न तो इन लोगों को सामान खरीदने के लिये अधिकृत किया गया है और न ही वे लोग इसके सदस्य हैं। द्रोपदी फाउन्डेसन व अन्य लोगों का फर्जी लेटरपैड व शील बनाकर तथा इसका उपयोग कर राजन ठाकुर व शुभम ठाकुर 21.66.792 /- रूपए की राशन सामग्री छलपूर्वक प्राप्त कर हड़प लिये हैं। कोतवाली थाने में दोनों आरोपियों पर अप्र.क्र. 151/2022 धारा 420,467,468,471,120(B),34 IPC दर्ज कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा दोनों आरोपियों की पतासाजी कर दोनों को हिरायत में लेकर पूछताछ करने पर दोनों ने धोखाधड़ी करना कबूल कर अपने मेमोरंडम कथन पर बताये कि राशन सामाग्री को दुकान की ऑटो से अपने बोलेरो वाहन में डम्प करते उसके बाद प्राप्त राशन सामाग्री को कम मूल्य में ढाबो में बेचना बताये , जिसकी तस्दीकी के लिये कोतवाली पुलिस आरोपियों को ढाबे पर लेकर गई किन्तु आरोपियों के बताये स्थान पर कोई ढाबा नहीं मिला। आरोपियों के निशानदेही पर बचत राशन करीब 10,000 रूपये का बरामद किया गया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन एवं आरोपियों द्वारा बनाये गये सील एवं लेटर पैड की जप्ती की गई है। आरोपी राजन ठाकुर पिता विपिन ठाकुर उम्र 31 वर्ष एवं शुभम ठाकुर पिता विपिन ठाकुर उम्र 26 वर्ष दोनों निवासी गांधी गंज के पीछे काली मंदिर के पास थाना कोतवाली रायगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

रोको-टोको टीम में शामिल हुए जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल

● स्वयंसेवी बच्चों को दी बधाई, अभियान को आगे बढ़ाने हेतु किया प्रेरित

रायगढ़। रोको-टोको टीम के द्वारा लगातार जिले के विभिन्न चौक चौराहों, सब्जी मंडी एवं विभिन्न भीड़ वाले जगहों में जाकर लोगो को कोविड नियमों के पालन हेतु जागरुक किया जा रहा है। इस कड़ी में आज जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल भी रोको-टोको टीम में शामिल हुए। उन्होंने इस अभियान में शामिल सभी स्वयं सेवी बच्चों को रोको-टोको अभियान हेतु बधाई दी एवं लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने सभी जिले वासियों को आग्रह किया कि कोरोना के बचाव के लिए मास्क जरूर लगाए एवं कोविड के नियमों का जरूरी पालन करें।

रोको-टोको टीम के द्वारा किरोड़ीमल डिग्री कॉलेज क्षेत्र, जिला पंचायत, अंबेडकर चौक क्षेत्र में अभियान चलाया गया। टीम द्वारा लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने एवं जिन्होंने कोविड का टीका नही लगाया है उनको टीका लगवाने हेतु अपील किया गया। कार्यक्रम में यूनिसेफ जिला समन्वयक शशांक शर्मा के साथ रोको-टोको टीम के नीरज सहीस, अंकित तिवारी, कैफ खान, खुशबू पटेल, नेहा अमेश्वर, पारुल यादव, आलोक रंजन दुबे, प्रियंका चक्रधारी, साक्षी साहू, खिलेश्वरी चौहान, करण सारथी, हर्षिता पटेल, अनुजा मिरी, खुशबू साहू, पूर्णिमा सिदार, प्रतीक प्रधान आदि उपस्थित रहे।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, कोतरारोड़ पुलिस की कार्रवाई

रायगढ़। कोतरारोड़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.02.2022 को महिला को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी दिलीप सिदार पिता स्व. चैन सिदार उम्र 30 वर्ष निवासी खैरपुर थाना कोतरारोड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है।

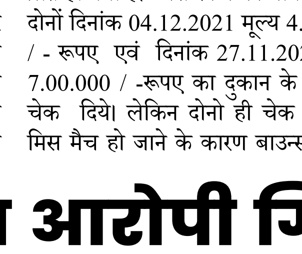

पीड़िता के आवेदन पर दिनांक 17.01.2022 को थाना कोतरारोड़ में आरोपी दिलीप सिदार पर अप.क्र. 08/2022 धारा 376 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थानाक्षेत्र अन्तर्गत निवासरत महिला आरोपी के विरूद्ध आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि करीब एक वर्ष पहले जहां वह काम करती थी, वहां दिलीप सिदार ड्रायवरी का कार्य करता था। दोनों एक दूसरे से बीच बातचीत करते थे। एक दिन दिलीप शादी कर पत्नी बनाकर रखूंगा बोला और कहीं घुमने जायेंगे कहकर खैरपुर के जंगल ले गया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। उसके कुछ दिन बाद अपने साथ रायगढ़ में किराये के मकान में पत्नी की तरह रखा था। तब महिला को जानकारी हुआ कि दिलीप सिदार शादीशुदा है, तो दिलीप को बोली कि तुम्हारे बीबी-बच्चे हैं तुम शादी नहीं करोगे। इस बात पर दिलीप बोला कि मैं शादी नहीं कर सकता तुम्हें जो करना है कर लो। दिलीप सिदार शादीशुदा होते हुए शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने संबंध आवेदन पर आरोपी पर दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक चमन सिन्हा द्वारा आरोपी के सकुनत एवं मिलने के ठिकानों पर लगातार दबिश दिया जा रहा था पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते हुए आरोपी दिलीप सिदार द्वारा न्यायालय में समर्पण करना उचित समझा और न्यायालय पहुंचा। कोतरारोड़ पुलिस द्वारा न्यायालय परिसर से आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उसका मुलाहिजा कराकर आरोपी की गिरफ्तारी पश्चात रिमांड पर भेजा गया है।

हत्या के आरोपी युवक को तमनार पुलिस ने किया गिरफ्तार

● आरोपी युवक बीच बचाव करने आये अधेड़ व्यक्ति के सिर, सीने में पत्थर से मारकर पहुंचाया चोट

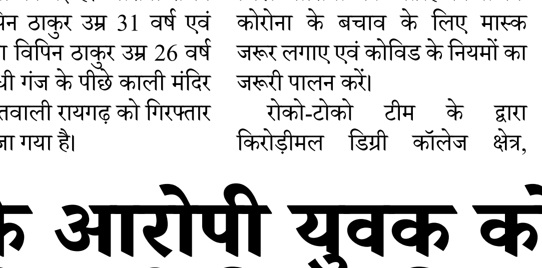

रायगढ़। दिनांक 31.01.2022 को थाना तमनार अन्तर्गत ग्राम बिजना में मारपीट की घटना में घायल हुये बसंत चौहान (40 वर्ष) की आज ईलाज दौरान CHC तमनार में मौत हो गई है। आरोपी युवक सुधम चौहान (19 साल) पर थाना तमनार में धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। थाना प्रभारी तमनार उप निरीक्षक जी.पी. बंजारे द्वारा ग्राम बिजना जाकर को हिरासत में लेकर थाना लाया गया है, जिसे कल रिमांड पर भेजा जावेगा।

घटना के संबंध में दिनांक 31.01.2022 को थाना तमनार में ग्राम बिजना में रहने वाली श्रीमती दुरपति चौहान पति बसंत चौहान उम्र 37 वर्ष थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि गांव का सुधम चौहान (19 साल) पुरानी रंजीश को लेकर दोपहर करीब 01.30 बजे शराब के नशे में इसके लडका आकाश चौहान (18 साल) को डंडा से मारपीट कर रहा था जिसे इसका पति बसंत चौहान (मृतक) बीच बचाव करने गया तो सुधम चौहान बसंत चौहान को जमीन पर गिराकर उसके सिर, छाती में पत्थर मारकर घायल कर दिया था जिसे ईलाज के लिये CHC तमनार में भर्ती किया गया था जो दौरान ईलाज फौत हो गया है, रिर्पोट पर मर्ग इटीमेशन क्रमांक 07/2022 धारा 174 जा0फौं0 कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग में आरोपी सुधम चौहान पिता सुकराम चौहान उम्र 19 साल निवासी बिजना थाना तमनार के द्वारा पत्थर मारनें से सिर एवं सीना में चोट लगने पर दौरान ईलाज के फौत ह ोना पाये जाने से धारा 302 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जिसे कल रिमांड पर भेजा जावेगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480